राजस्थान सरकार

निदेशालय कोष एवं लेखा, राजस्थान जयपुर

क्रमांकः– एफ.2 (क)(1)/(डी–251) अलेसे–I/924 दिनांकः– 12/8/22

आदेश

जिला कलक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट, अलवर ने अपने आदेश क्रमांक 7951 दिनांक 27.09.2021 से श्री दीपक माथुर, सहायक लेखाधिकारी ग्रेड–। (लिंक नं. 3427) कार्यालय वाणिज्य कर विभाग, वृत्त–बी, अलवर द्वारा अध्यापक पात्रता परीक्षा (REET) 2021 में प्रश्नगत परीक्षा केन्द्र श्रीमती कमलादेवी महाविद्यालय, ढीकवाड़ मांढण (102120) पर प्रातः 8.30 बजे तक प्रश्न पत्र नहीं पहुंचाये जाने और विलंब होने के संबंध में उच्च स्तर पर सूचना भी प्रेषित नहीं करने, उक्त प्रश्न पत्रों को 01 घण्टा 52 मिनट की देरी से प्रातः 10.22 बजे पहुंचाये गये, जिसकी वजह से प्रथम पारी में लेवल द्वितीय की रीट परीक्षा आयोजित नहीं हो पाने एवं उनके द्वारा कृत्य घोर लापरवाही उदासीनता और अनुशासनहीनता के कारण राजस्थान सिविल सेवा (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियम, 1958 के नियम 13 के तहत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए श्री दीपक माथुर, सहायक लेखाधिकारी ग्रेड–।, कार्यालय वाणिज्य कर विभाग, वृत्त–बी, अलवर को तत्काल प्रभाव से निलम्बित किया गया था। उक्त आदेश की पुष्टि निदेशालय के आदेश संख्या 509/2021–22 दिनांक 01.12.2021 के द्वारा की गई थी।

श्री माथुर को निलम्बित हुए 6 माह से अधिक की अवधि पूर्ण हो चुकी है। श्री माथुर द्वारा निर्वाह भत्ता बढाये जाने हेतु प्रस्तुत प्रार्थना पत्र के आधार पर राजस्थान सेवा नियम के नियम 53(1) के अनुसरण में श्री दीपक माथुर, सहायक लेखाधिकारी ग्रेड–।(निलम्बित) को पूर्व में स्वीकृत निर्वाह भत्ते में 50% की अभिवृद्धि किये जाने की स्वीकृति एतद् द्वारा प्रदान की जाती है।

(भूपेश माथुर)
निदेशक

क्रमांकः– एफ.2 (क)(1)/(डी–251) अलेसे–I/925-932 दिनांकः– 12/8/22

प्रतिलिपि निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है :–

1 संयुक्त शासन सचिव, वित्त (राजस्व) विभाग, शासन सचिवालय, जयपुर।
2 जिला कलक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट, अलवर।
3 वाणिज्य कर विभाग, वृत्त–बी, अलवर।
4 कोषाधिकारी, अलवर।
5 श्री दीपक माथुर, सहायक लेखाधिकारी ग्रेड–।, मुख्यालय, कोषाधिकारी, अलवर।
6 उपनिदेशक (एसीपी) कार्यालय हाजा को वेबसाईट पर अपलोड करने हेतु।
7 निजी सचिव, निदेशक महोदय।
8 रक्षित पत्रावली/निजी पत्रावली।

(धीरज सिसोदिया)
अतिरिक्त निदेशक (कार्मिक–I)